01C

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक 4349 /अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक : 05 /08/2015

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 के अनुमोदनानुसार **दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय **(नए विषय एवं सीट वृद्धि)** एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा/विषय		छात्र संख्या	सत्र
1.	**नवीन विषय**	M.Com. (25 seats)	25	2015–16
2.	**सीट वृद्धि**	P.G.D.C.A. (पूर्व संचालित सीट 30) (सीट वृद्धि – 30)	60	

शर्तें :–

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र कमांक एफ 1908/1308/2013/38–2 दिनांक 31.05.2013 के द्वारा नवीन M.Com. पाठ्यकम, एवं **सीट वृद्धि –** P.G.D.C.A. पाठ्यकम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तो का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यकम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है ।
07. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से **तीन माह** के भीतर पूर्ण करें।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 4350/अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक : 05 /08/2015

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ ।

उप कुलसचिव (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार.................................हैं अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए ....उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रुप में मान्य किया जा सकता है।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर .... डॉ० ओ.पी. चन्द्राकर (हस्ताक्षर) 14/07/2015

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर –नाम पता .... डॉ० विजय तिवारी (हस्ताक्षर) 14.7.15

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम–पता ....

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 4080/अका/2015 दिनांक 10.07.2015 द्वारा नवीन कक्षा/विषय एम.कॉम. की 25 सीट तथा पी.जी.डी.सी.ए. की 30 सीट की वृद्धि हेतु दिनांक 14.07.2015 को दिशा कॉलेज रामनगर रायपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन बिन्दुवार है।

1. एम.कॉम. की 25 सीट (नवीन कक्षा) तथा पी.जी.डी.सी.ए. 30 सीट की वृद्धि के लिए अध्ययन कक्ष पर्याप्त है। अध्यापन हेतु पर्याप्त संख्या में फर्नीचर एवं विद्युत उपलब्ध है।
2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध है।
3. ग्रंथालय में एम.कॉम. व पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध हैं।
4. महाविद्यालय में पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु Oracle, Visual Basic, Java, Office Automation के Licensed Software नहीं है अतः इनका क्रय तत्काल किया जावे।
5. पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु प्राचार्य सहित दो शिक्षक परिनियम 28 के तहत नियुक्त हैं। निरीक्षण के समय शिक्षक अनुपलब्ध थे। महाविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. रेगुलेशन 2009 के मापदण्डों के अनुसार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
6. छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु संदर्भ ग्रंथ व कम्प्यूटर पत्रिकाओं क्रय किया जाना चाहिए।

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

(हस्ताक्षर) 14/07/2015 (हस्ताक्षर) 14.7.15